अनुक्रमणिका

क. सं.	विवरण	बिन्दु संख्या
1.	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	1 से 2.3
2.	स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	2.4
3.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना	8
4.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां	3 से 7
5.	सार संक्षेप	9

राजस्थान स्टेट बेवेरेज निगम लिमिटेड, जयपुर

1. प्रस्तावनाः—

1.1 राजस्थान स्टेट बेवेरेज निगम लिमिटेड का गठन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005—06 में किया गया। इस निगम को भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के क्रय एवं विक्रय का एकाधिकार दिया गया। निगम का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुआ। निगम ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियां दिनांक 01.04.2005 से प्रारम्भ की।

1.2 निगम द्वारा वर्ष 2015—16 में (31 दिसम्बर 2015 तक) 38 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कुल 302 ब्राण्डस की दरों का अनुमोदन किया गया। दर अनुमोदन हेतु आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत/घोषित एक्स डिस्टीलरी/एक्स ब्रुअरी प्राइस को आधार मानते हुए उसमें आबकारी शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क एवं निगम का मार्जिन 0.33% जोड़ते हुए ब्राण्ड विशेष का विक्रय मूल्य निगम द्वारा निर्धारित किया गया है।

1.3 निगम द्वारा अनुमोदित ब्राण्ड के विक्रय मूल्य में परमिट फीस, वेण्ड फीस (केवल बीयर में) वेट एवं खुदरा विक्रेता/अनुज्ञाधारी का मार्जिन (IMFL—बोतल/अद्दे पर 20% एवं पव्वे पर 22% तथा बीयर में 22%) जोड़ते हुए अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य का निर्धारण किया गया है।

1.4 समस्त 302 ब्राण्डों का विक्रय राज्य के 33 जिलो में स्थित 40 डिपोज के द्वारा खुदरा अनुज्ञाधारियों को किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015—16 में दिसम्बर 2015 तक के दौरान 3606.18 करोड़ रूपये की भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर का विक्रय किया गया।

1.5 सप्ताह के गुरूवार से बुधवार के मध्य राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में स्थित डिपोज के माध्यम से विक्रित मदिरा एवं बीयर का भुगतान सम्बन्धित निर्माताओं/सप्लायर्स को आगामी सोमवार को मुख्यालय द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जाता है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2014—15 के दौरान निगम द्वारा एकत्रित 0.33% मुनाफा (मार्जिन मनी) एवं अतिरिक्त मार्जिन मनी में से राज्य सरकार को 2.29 करोड रूपए अनुज्ञा शुल्क एवं 15.00 करोड रूपए प्रिविलेज शुल्क के रूप में भुगतान किया गया।

1.7 इस प्रकार निगम के गठन के परिणाम—स्वरूप जहाँ राज्य सरकार को अनुज्ञा शुल्क एवं आबकारी शुल्क वसूली का लक्ष्य प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के मूल्यों में एकरूपता बनी रही।

2. निगम की प्रशासनिक संरचनाः—

2.1 राजस्थान में निगम का मुख्यालय जनपथ, "डी" ब्लॉक, प्रथम तल, वित्त भवन, जयपुर में अवस्थित है एवं आबकारी आयुक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं विभागाध्यक्ष हैं। निगम में दिन—प्रतिदिन के कार्य संचालन के लिए कार्यकारी निदेशक का पद है। इसके अतिरिक्त निगम में विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए निम्न अधिकारी पदस्थापित हैं:—

(I) महाप्रबंधक (प्रशासन) (II) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(III) महाप्रबंधक (ऑपरेशन)

2.2 महाप्रबंधक (प्रशासन) के सहयोग के लिए उपमहाप्रबन्धक (एम.आई.एस) तथा प्रबंधक (प्रशासन), प्रबन्धक(विधि), महाप्रबंधक (ऑपरेशन) के सहयोग के लिए प्रबन्धक (ऑपरेशन), महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के सहयोग के लिए उपमहाप्रबन्धक (वित्त) तथा प्रबन्धक इत्यादि पद स्वीकृत हैं।

2.3 राज्य के 33 जिलों में 40 डिपोज कार्यरत है। प्रत्येक डिपो पर 4 अधिकारी / कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं:—

1. डिपो मैनेजर 2. क0 लेखाकार 3. सुपरवाईजर (संख्या—2)

2.4 निगम में सभी स्वीकृत पदों को राजकीय निर्णयानुसार प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है। निगम में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन श्रृंखला		स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
		पे बेण्ड	ग्रेड पे			
1	प्रबन्ध निदेशक एवं आबकारी आयुक्त, IAS	—	—	1	1	0
2	कार्यकारी निदेशक	37400—67000	9500	1	1	0
3	महाप्रबंधक (प्रशासन)	37400—67000	8700	1	0	1
4	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) वित्तीय सलाहकार, R.Ac.S	37400—67000	8700	1	0	1
5	महाप्रबंधक (ऑपरेशन) वित्तीय सलाहकार, R.Ac.S	37400—67000	8700	1	1	0
6	उप महाप्रबंधक	15600—39100	6600 (17)	2	0	2
7	मैनेजर	15600—39100	6000 (16) 5400 (15)	8	2	6
8	कम्पनी सैक्रेट्री	—	—	1	1	0
9	सहा. प्रबन्धक	9300—34800 पे बैन्ड—1	4800 (14)	4	4	0
10	डिपो मैनेजर	9300—34800 पे बैन्ड—1	4800 (14)	42	35	7
11	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II	9300—34800 पे बैन्ड—1	4200 (12)	3	3	0
12	निजी सहायक / निजी सचिव	9300—34800 पे बैन्ड—1	3600 (11)	5	5	0
13	कनिष्ठ लेखाकार	9300—34800 पे बैन्ड—1	3600 (11)	48	21	27

14.	सुपरवाइजर / क0 लिपिक	5200–20200 पे बैन्ड–1	2800 (10) 2400 (9)	86	67	19
15.	मंत्रालयिक कर्मचारी (वरिष्ठ लिपिक / कनिष्ठ लिपिक)	5200–20200 पे बैन्ड–1	2800 (10) 2400 (9)	10	10	0
16.	सूचना सहायक	5200–20200 पे बैन्ड–1	2800 (10)	10	10	0
17.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200–20200	1700 (2)	9	9	0
कुल				233	170	63

3. न्यायिक प्रकरणों की स्थिति :–

3.1 निगम के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन लम्बित प्रकरणों को निगम मुख्यालय पर स्थापना शाखा द्वारा सुपरविजन किया जाता है साथ ही ऐसे प्रकरणों की समीक्षा संयुक्त विधि परामर्शी (विधि प्रकोष्ठ) वित्त विभाग द्वारा की जाती है। निगम से सम्बन्धित सभी प्रकरणों को न्याय विभाग की अधिकृत वेबसाईट 'लाइट्स' में लगातार अपडेट एवं वेलीडेट किया जाता है।

3.2 दिनांक 31.12.15 को लम्बित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

क.सं.	प्रकरणों का विवरण	न्यायालय					
		उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर में विचाराधीन		सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली	अधीनस्थ, श्रम, उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय एवं अन्य न्यायालय	योग
			जयपुर	जोधपुर			
1.	विचाराधीन / ड्यू कॉर्स	शून्य	35	2	01	13	51
2.	जवाब पेश करना शेष	–	1	–	–	–	–
3.	निर्णय की क्रियान्विति	–	–	–	–	–	–
4.	अवमानना प्रकरण	–	–	–	–	–	–

4. अन्य प्रमुख बिन्दु :–

4.1 वित्तीय वर्ष 2005–06 में निगम के 105 थोक विक्रेताओं की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 (दिसम्बर 15 तक) में निगम ने 38 निर्माताओं एवं लगभग 7535 खुदरा व्यापारियों से सीधे व्यवसाय किया है।

4.2 वित्तीय वर्ष 2006–07 से निगम की समस्त व्यावसायिक गतिविधियाँ ऑन–लाइन हो गई हैं जिसमें वेब आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है। संबंधित निर्माताओं / सप्लॉयर्स को सॉफ्टवेयर एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसके अन्तर्गत आपूर्ति के आदेश, डिपो पर माल प्राप्ति, उनके उत्पादों की बिक्री और सप्ताह के दौरान प्राप्त होने वाले भुगतान के विवरण का आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सीधे अवलोकन किया जा सकता है।

4.3 खुदरा अनुज्ञाधारियों को एकल खिड़की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निगम के डिपो प्रबंधकों को इनवाइस–कम ट्रान्सपोर्ट परमिट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

4.4 परमिट फीस, वेण्ड फीस / स्पेशल वेन्ड फीस / सरचार्ज आदि आबकारी विभाग के लिए निगम द्वारा एकत्र कर राज्य सरकार को जमा करवाया जाता है।

5. निगम का टर्नओवर (Turn over) :-

निगम के प्रारम्भिक वर्ष 2005–06 में बिक्री 734.19 करोड़ रूपए थी जो 2014–15 तक बढ़कर 4558.65 करोड रूपए हो गई तथा वर्ष 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक) के दौरान बिक्री राशि 3606.18 करोड़ रूपए है। बिक्री का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	वार्षिक बिक्री (राशि करोडो में)	% वृद्धि
2005-06	734.19	-
2006-07	1003.07	36.62
2007-08	1302.72	29.87
2008-09	1597.54	22.63
2009-10	1569.47	(-) 1.75
2010-11	1842.29	17.38
2011-12	2572.40	39.63
2012-13	3122.12	21.36
2013-14	3539.35	13.36
2014-15	4558.65	28.80
2015-16 (दिसम्बर 2015 तक)	3606.18	-

6. निगम का वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 का मदवार आय एवं व्यय विवरण :–

6.1 निगम के वास्तविक व्यय के आधार पर आय–व्यय विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाख रूपए में)

आय मद	2012–13 (वास्तविक)	2013–14 (वास्तविक)	2014–15 (वास्तविक)	2015–16 (दिसम्बर 2015 तक) Unaudited
सकल आय	6158.25	1236.02*	2686.09	1564.76
ब्याज	1390.80	1479.55	1976.89	1004.68
डेमरेज की आय	428.52	395.87	683.89	520.70
अन्य आय	92.40	140.23	217.69	144.49
योग (आय)	8069.97	3251.67	5564.56	3234.63
व्यय मद				
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	1253.86	1604.94	1779.16	1158.62
प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	12.58	12.75	22.46	
वित्तीय व्यय				
ह्रास	51.44	45.61	48.61	
राज्य सरकार को प्रदत्त / देय प्रिविलेज फीस	1900.00	300.00	1500.00	
राज्य सरकार को प्रदत्त लाईसेंस फीस	4378.90	229.00	229.00	251.30
योग (व्यय)	7596.78	2192.30	3579.23	1409.92
लाभ	473.19	1059.37	1985.33	1824.71

* वर्ष 2013–14 से निगम का IMFL/BEER की बिकी पर मार्जिन (सकल आय) 2 प्रतिशत से घटाकर 0.33% करने के कारण।

7. <u>ई–गवर्नेस :–</u>

7.1 निगम में कम्प्यूटराईजेशन 1 अप्रैल, 2006 से लागू किया जा चुका है। इस हेतु निगम मुख्यालय तथा समस्त डिपो पर कम्प्यूटर मय प्रिंटर, यू.पी.एस., इन्टरनेट कनेक्टिविटी, इनवर्टर्स व जेनरेटर सहित उपलब्ध है। निगम अपने व्यवसायिक कार्य इन्टिग्रेटेड़ वेब बेस्ड ऑन–लाईन सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित कर रहा है। उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न लिखित कार्य सम्पादित किये जा रहे है :–

7.2 डिपो स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य :–

- i मदिरा स्टॉक का संधारण।
- ii प्रतिदिन प्राप्त होने वाली मदिरा का स्टॉक में इन्द्राज।
- iii लाईसैंसी द्वारा प्रस्तुत बैंक चालान का इन्द्राज।
- iv लाईसैंसी की मांग के अनुसार 'इन्वाइस कम ट्रांसपोर्ट पास' जारी करना।
- v. दिन–प्रतिदिन की क्षति का इन्द्राज।
- vi. बैंक चालान का अंक–मिलान कर बैंक समाशोधन।
- vii. प्रत्येक लाईसैंसी के लेजर का संधारण।
- viii मदिरा का अन्तर–डिपो ट्रांसफर।

7.3 मुख्यालय स्तर पर संधारित होने वाले कार्य :–

- i. मदिरा आपूर्ति हेतु डिजिटल हस्ताक्षरित आदेश (OFS) ऑन–लाइन जारी करना।
- ii. मदिरा के अन्तर–डिपो ट्रांसफर हेतु हस्ताक्षरित आदेश (TOO) ऑनलाइन जारी करना।
- iii कय आदेशों का ऑनलाइन अवधि विस्तार करना।
- iv. मदिरा की बिकी उपरान्त सप्लायर्स को किये जाने वाले साप्ताहिक भुगतान का विवरण पत्र।
- v. लाईसैंसियों से प्राप्त स्त्रोत से कर संग्रहण (TCS) की संकलित सूचना प्राप्त कर आयकर विभाग में मासिक जमा कराना।
- vi. लाईसैंसियों से प्राप्त वेट राशि की संकलित सूचना प्राप्त कर वाणिज्य कर विभाग में मासिक जमा कराना।
- vii. लाईसेंसियों से प्राप्त आबकारी शुल्क (परमिट फीस, वेन्ड फीस तथा स्पेशल वेन्ड फीस) की संकलित सूचना प्राप्त कर आबकारी विभाग में जमा कराना।
- viii. निगम के बैंको से प्रतिदिन ई–मेल से प्राप्त होने वाली निगम खाते में जमा की सूचना को सॉफ्टवेयर में अपलोड करना ताकि डिपो बैंक समाशोधन हेतु सूचना प्राप्त कर सके।
- ix. इनएक्टिव स्टॉक पेनल्टी की गणना कर सप्लायरों से वसूली करना।
- x. निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, उपार्जित अवकाश, एरियर, बोनस, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि सम्बन्धित कार्य।

7.4 सप्लायर्स द्वारा सॉफ्टवेयर पर संम्पादित किये जाने वाले कार्य :–

- i. सप्लायर्स आपूर्ति के आदेश (OFS) हेतु ऑन लाइन आवेदन तथा अनुमोदित आपूर्ति के आदेश (OFS) को प्रिंट करते हैं।
- ii. सप्लायर्स ट्रांसफर आउट ऑर्डर (TOO) हेतु ऑन लाइन आवेदन तथा अनुमोदित ट्रासफर आउट ऑर्डर को प्रिंट (TOO) करते हैं।

iii उनके स्टॉक की डिपोवार सूचना।

iv. उनके ब्राण्डों की डिपोवार बिक्री की सूचना।

v. उन्हें जारी होने वाले आपूर्ति के आदेश (OFS) की सूचना।

vi. उन्हें जारी होने वाले ट्रांसफर आउट ऑर्डर (TOO) की सूचना।

vii. विभिन्न डिपो पर उनके ब्राण्डों की आवक की सूचना।

viii. उनके लेजर की सूचना।

ix इनएक्टिव स्टॉक की गणना की सूचना

x RSBCL को स्टॉक सप्लाई हेतु जारी बिलों की सूचना ऑनलाइन दर्ज करना

xi. OFS अथवा आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिटों की अवधि विस्तार हेतु ऑन लाइन आवेदन करना।

7.5 लाइसैंसी उक्त सॉफ्टवेयर का निम्न कार्यों हेतु उपयोग करते हैं:–

i. निगम से मदिरा खरीदने हेतु निगम के सॉफ्टवेयर से ऑन लाइन चालान बनाना।

ii. इन्टरनेट बैकिंग के माध्यम से ऑन लाइन निगम खाते में राशि जमा कर ई–चालान प्राप्त करना ।

7.6 आबकारी विभाग, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड (RSGSM) तथा राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड (RSBCL) तीनो हेतु एक ही इन्टीग्रेटेड ऑनलाईन सॉफ्टवेयर विकसित कर स्थापित किया गया है। इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के स्थापित होने से तीनो विभागों को एक–दूसरे से सम्बन्धित सूचनाएँ एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार को भी एक क्लिक पर तीनो विभागों की सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं।

7.7 इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हेतु अन्य कार्यो सहित निम्नलिखित प्रमुख कार्य किये जा चुके है :–

i. आबकारी आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में एक डेटा सेन्टर स्थापित कर वहॉ से सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा है।

ii. सेवा प्रदाता द्वारा सॉफ्टवेयर का प्रबन्धन तथा साज–संभाल की सेवाएँ दी जा रही है।

7.8 अधिकृत बैकों के सॉफ्टवेयरों से साफ्टवेयर का समन्वय किया गया है इससे लाइसेंसी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाइसैंसियों द्वारा चालान के माध्यम से बैकों में जमा कराई गई राशि की सूचना संबंधित डिपो पर ऑनलाइन ही प्रदर्शित हो जाती है।

7.9 लाइसेंसी NEFT/RTGS के माध्यम से भी निगम के अधिकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक में राशि जमा करवा सकते हैं। इस प्रकार के व्यवहारों की सूचना भी बैंक के सॉफ्टवेयर से निगम के सॉफ्टवेयर पर ऑन लाइन प्राप्त होती है।

7.10 सॉफ्टवेयर से एस.एम.एस. तथा ई–मेल द्वारा जहॉ आवश्यक है, संबंधितों को आवश्यक सूचनाएँ प्रेषित की जाती है।

8 निगम की मदिरा बिक्री का तुलनात्मक विवरणः—

8.1 वित्तीय वर्ष 2012—13, 2013—14, 2014—15 (दिसम्बर 14) की तुलना में वर्ष 2015—16 (दिसम्बर 15) तक के दौरान भा.नि.वि.म. एवं बीयर के कॉर्टन बॉक्स की ब्रिकी का मासिक विवरण निम्नानुसार हैः—

(संख्या लाख केसेज में)

माह	2012—13		2013—14		2014—15		2015—16 (दिसम्बर 15 तक)		वृद्धि / कमी (प्रतिशत में) 2015—16	
	बीयर	आईएमएफएल	बीयर	आईएमएफएल	बीयर	आईएमएफएल	बीयर	आईएमएफएल	बीयर	आईएमएफएल
अप्रैल	18.72	7.77	18.57	7.82	25.11	11.48	23.31	8.00	-7.17	-30.31
मई	21.32	7.71	29.65	9.66	32.52	11.19	32.84	9.42	0.98	-15.82
जून	20.87	7.41	23.81	8.55	28.10	8.83	29.13	9.35	3.67	5.89
जुलाई	16.47	6.82	18.70	7.97	23.50	8.77	20.11	7.61	-14.43	-13.23
अगस्त	11.78	6.17	14.61	8.08	19.00	8.11	16.32	7.80	-14.11	-3.82
सितम्बर	11.05	6.60	14.64	7.96	14.54	8.08	18.65	8.09	28.27	0.12
अक्टूबर	12.24	7.79	14.95	9.15	17.92	8.83	18.20	8.28	1.56	-6.23
नवम्बर	10.72	7.44	14.26	10.08	15.23	9.90	18.72	10.27	22.92	3.74
दिसम्बर	11.13	9.47	11.74	11.02	12.44	10.81	13.77	11.31	10.69	4.63
जनवरी	8.82	8.87	9.32	9.91	11.57	9.76				
फरवरी	10.79	7.78	11.29	8.11	15.37	7.83				
मार्च	20.55	10.06	19.95	9.46	24.31	10.44				
योग	**174.46**	**107.77**	**201.49**	**107.77**	**239.61**	**114.03**				

8.2 निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2012—13, 2013—14, 2014—15 (दिसम्बर 14 तक) तक 2272.72 करोड़ रु. व 2015—16 में (दिसम्बर 15 तक) 2376.43 करोड़ रू. का आबकारी शुल्क, विदेशी मदिरा व बीयर के ओ0एफ0एस0 जारी करने के परिणामस्वरुप एकत्र किया गया है। इस मद में 4.56% की वृद्धि हुई है। विवरण निम्नानुसार हैः—

(अ) निर्गमित बीयर की आपूर्ति के आदेश

(संख्या लाख केसेज में)

माह	माह के दौरान					माह तक				
	12—13	13—14	14—15	15—16 (दिसम्बर 15 तक)	वृद्धि % 15-16	12—13	13—14	14—15	15—16 (दिसम्बर 15 तक)	वृद्धि % 15-16
अप्रैल	22.22	23.37	27.90	29.42	5.45	22.22	23.37	27.90	29.42	5.45
मई	22.32	29.90	25.15	32.36	28.67	44.54	53.27	53.05	61.78	16.46
जून	19.33	23.04	31.34	28.06	-10.47	63.87	76.31	84.39	89.84	6.46
जुलाई	15.55	18.89	23.45	18.75	-20.04	79.42	95.20	107.84	108.59	0.70
अगस्त	13.44	14.34	17.47	14.27	-18.32	92.86	109.54	125.31	122.86	-1.96
सितम्बर	10.98	12.15	17.08	17.86	4.57	103.84	121.69	142.39	140.72	-1.17
अक्टूबर	13.72	16.49	16.78	19.21	14.48	117.56	138.18	159.17	159.93	0.48
नवम्बर	12.98	15.42	14.40	16.92	17.50	130.54	153.60	173.57	176.85	1.89
दिसम्बर	10.67	11.45	12.17	13.03	7.07	141.21	165.05	185.74		
जनवरी	9.48	7.15	11.14			150.69	172.20	196.88		
फरवरी	12.74	14.54	20.69			163.43	186.74	217.57		
मार्च	18.14	22.63	23.45			181.57	209.37	241.02		
योग	**181.57**	**209.37**	**241.02**			**181.57**	**209.37**	**241.02**		

(ब) निर्गमित भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति के आदेश

(संख्या लाख केसेज में)

माह	माह के दौरान					माह तक				
	12–13	13–14	14–15	15–16 (दिसम्बर 15 तक)	वृद्धि % 15-16	12–13	13–14	14–15	15–16 (दिसम्बर 15 तक)	वृद्धि % 15-16
अप्रैल	9.96	10.06	10.34	9.04	-12.57	9.96	10.06	10.34	9.04	-12.57
मई	8.18	9.71	12.36	9.55	-22.73	18.14	19.77	22.70	18.59	-18.11
जून	7.90	8.21	8.65	9.46	9.36	26.04	27.98	31.35	28.05	-10.53
जुलाई	6.60	7.94	8.55	7.82	-8.54	32.64	35.92	39.90	35.87	-10.10
अगस्त	6.29	7.88	8.35	7.90	-5.39	38.93	43.80	48.25	43.77	-9.28
सितम्बर	6.92	7.78	9.25	9.55	3.24	45.85	51.58	57.50	53.32	-7.27
अक्टूबर	7.52	9.42	8.68	8.78	1.15	53.37	61.00	66.18	62.10	-6.17
नवम्बर	10.08	10.51	10.18	9.32	-8.45	63.45	71.51	76.36	71.42	-6.47
दिसम्बर	9.76	11.42	11.48	12.19	6.18	73.21	82.93	87.84	83.61	-4.82
जनवरी	8.73	10.22	9.52			81.94	93.15	97.36		
फरवरी	7.39	8.20	8.91			89.33	101.35	106.27		
मार्च	8.66	9.46	8.72			97.99	110.81	114.99		
योग	**97.99**	**110.81**	**114.99**			**97.99**	**110.81**	**114.99**		

(स) आबकारी शुल्क, आपूर्ति के आदेश के अनुसार

(राशि करोड़ रूपए में)

माह	माह के दौरान					माह तक				
	12–13	13–14	14–15	15–16 (दिसम्बर 15 तक)	वृद्धि % 15-16	12–13	13–14	14–15	15–16 (दिसम्बर 15 तक)	वृद्धि % 15-16
अप्रैल	216.11	227.21	277.15	290.02	4.64	216.11	227.21	277.15	290.02	4.64
मई	188.54	244.53	299.84	311.43	3.87	404.65	471.74	576.99	601.45	4.24
जून	175.05	202.14	262.69	289.53	10.22	579.70	673.88	839.68	890.98	6.11
जुलाई	146.35	178.55	235.08	228.28	-2.89	726.05	852.43	1074.76	1119.26	4.14
अगस्त	134.63	167.73	212.26	208.91	-1.58	860.68	1020.16	1287.02	1328.17	3.20
सितम्बर	137.26	162.64	239.70	260.55	8.70	997.94	1182.80	1526.72	1588.72	4.06
अक्टूबर	154.53	197.08	232.86	248.27	6.62	1152.47	1379.88	1759.58	1836.99	4.40
नवम्बर	189.11	212.10	249.48	250.55	0.43	1341.58	1591.98	2009.06	2087.54	3.91
दिसम्बर	178.82	214.62	263.66	288.89	9.57	1520.40	1806.60	2272.72	2376.43	4.56
जनवरी	156.70	175.31	220.43			1677.10	1981.91	2493.15		
फरवरी	148.76	171.74	250.41			1825.86	2153.65	2743.56		
मार्च	183.55	220.98	262.21			2009.41	2374.63	3005.77		
योग	**2009.41**	**2374.63**	**3005.77**			**2009.41**	**2374.63**	**3005.77**		

9. सार संक्षेप

1. राजस्थान स्टेट बेवेरेज निगम लिमिटेड की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत फरवरी 2005 में हुई थी। इस निगम को भा. नि. वि. म. के विक्रय का एकाधिकार राज्य सरकार द्वारा दिया गया। निगम ने 01.04.2005 से अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया।

2. निगम में कार्यरत समस्त राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारी विभिन्न राजकीय विभाग / उपक्रम से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये है।

3. आबकारी विभाग, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड (RSGSM) तथा राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड (RSBCL) तीनों हेतु एक ही इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर विकसित कर स्थापित किया गया है। इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के स्थापित होने से तीनों विभागों को एक–दूसरे से सम्बन्धित सूचनाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार को भी तीनों विभागों की सूचनाएँ प्राप्त हो सकती है।

4. निगम में समस्त व्यवसायिक कार्य इन्टीग्रेटेड वेबबेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित किया जाता है। निगम में सप्लायर आपूर्ति आदेश से लेकर मदिरा स्टॉक/ मदिरा विक्रय का संधारण, लेजर संधारण, अंतर डिपो ट्रांसफर, स्त्रोत पर कर संग्रहण, कार्मिकों के वेतन भत्तों का आहरण सहित समस्त कार्य उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जाते है।

5. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान निगम में कुल बिक्री 4558.65 करोड़ रूपए हुई जिसमे मार्जिन मनी 16.09 करोड़ रूपए, अतिरिक्त मार्जिन मनी 10.77 करोड़ रूपए तथा अन्य आय 28.78 करोड़ रूपए मिलाकर कुल आय 55.64 करोड़ रूपए हुई तथा राज्य सरकार को 2.29 करोड़ रूपए अनुज्ञा शुल्क एवं 15.00 करोड़ रूपए प्रिविलेज शुल्क एवं 18.50 करोड़ रूपए प्रशासनिक एवं अन्य खर्च मिलाकर कुल 35.79 करोड़ रूपए का व्यय रहा। वर्ष 2014–15 में निगम का शुद्ध लाभ 19.85 करोड़ रूपए रहा।

6. वित्तीय वर्ष 2005–06 में निगम के 105 थोक विक्रेताओं की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 (दिसम्बर 15 तक) में निगम ने 38 निर्माताओं एवं लगभग 7535 खुदरा व्यापारियों से सीधे व्यवसाय किया है।

7. निगम के प्रारम्भिक वर्ष 2005–06 में बिकी 734.19 करोड़ रूपए थी जो 2014–15 तक बढ़कर 4558.65 करोड़ रूपए हो गई तथा वर्ष 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक) के दौरान बिकी राशि 3606.18 करोड़ रूपए है।

8. वर्ष 2014–15 में राज्य के समस्त 33 जिलों में स्थित 40 डिपोज में 302 ब्राण्डों का विकय खुदरा अनुज्ञाधरियों को किया गया।